सी.आर.सी. गोरखपुर में प्रदान की जानें वाली सेवायें

केन्द्र आधारित सेवाएँ

- भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास
- मनोवैज्ञानिक सेवाएँ
- भौतिक चिकित्सा
- व्यावसायिक चिकित्सा
- वाक् तथा भाषा चिकित्सा
- विशेष शिक्षा
- वयस्क स्वावलम्बी जीवन
- कृत्रिम अंग निर्माण
- सामाजिक कार्य सेवा
- कौशल विकास कार्यक्रम
- अभिभावक / सहोदर प्रशिक्षण कार्यक्रम
- समुदाय आधारित पुनर्वास
- बहिर्गमन एवं विस्तारित सेवाएँ
- मानव संसाधन विकास
- शोध एवं विकास
- सहायक उपकरण वितरण

समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास, पुर्नवास एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण केन्द्र (सी.आर.सी.)- गोरखपुर

राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता जन सशक्तीकरण संस्थान, चेन्नै

(दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन

10, सीतापुर नेत्र चिकित्सालय परिसर, पार्क रोड, सिविल लाइन, गोरखपुर- 273001
फोन : 0551- 2202024, ई-मेल : crcgkpr@gmail.com

कार्य अवधि : सोमवार से शुक्रवार (प्रातः 9:00 बजे से सायं 5:30 बजे तक)
(शनिवार, रविवार तथा सरकारी अवकाश के दिन कार्यालय बन्द रहेगा)

सी.आर.सी. गोरखपुर के बारे में

समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास, पुर्नवास एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण केन्द्र (सी.आर.सी.) गोरखपुर, राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता जन सशक्तीकरण संस्थान, चेन्नै, (दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग भारत सरकार) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यरत है।

सी.आर.सी. गोरखपुर एक क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र के रुप में सन् 2018 से कार्यरत है तथा इसकी स्थापना का मुख्य उदेदेश्य पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों हेतु विभिन्न प्रकार के केन्द्र तथा समुदाय आधारित नैदानिक सेवायें उपलब्ध कराना है। सी. आर. सी. गोरखपुर, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत वर्णित समस्त 21 प्रकार की दिव्यांगताओं से प्रभावित व्यक्तियों को उच्च स्तरीय पुनर्वास सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उक्त 21 प्रकार की दिव्यांगताओं में निम्नलिखित अवस्थाएं सम्मिलित हैं –

1. शारीरिक दिव्यांगता

(A) गतिविषयक दिव्यांगता

अ) कुष्ठ रोग मुक्ति व्यक्ति
ब) प्रमस्तिष्क पक्षाघात
स) बौनापन
द) पेशीयदुष्पोषण
न) तेजाब आक्रमण पीड़ित

(B) दृष्टिगत ह्रास

अ) अंधता
ब) निम्नदृष्टि

(C) श्रवणबाधित

अ) बधिर
ब) उच्च श्रवण दोश

(D) वाणी एवं भाषा विकृति

(2) बौद्धिक दिव्यांगता

अ) विशिष्ट अधिगम अक्षमता
ब) स्वलीनता

(3) मानसिक व्यवहार

अ) मानसिक रुग्णता

(4) निम्न के कारण होने वाली दिव्यांगता –

अ) गहन स्नायविक स्थिति
1. मल्टीपल स्क्लेरोसिस
2. पार्किन्सन रोग

ब) रक्त विकृति

1. हीमोफीलिया
2. थैलासीमिया
3. सिकल सेल रोग

(5) बहु दिव्यांगता (उपरोक्त में से एक से अधिक दिव्यांगता) बधिरांधता को सम्मिलित करते हुए

सी. आर. सी. के उद्देशय–

- दिव्यांगजनों के विशेष शिक्षा एवं पुनर्वास हेतु संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करना।
- दिव्यांगजनों सेवा प्रदान करने हेतु सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में कार्यरत सभी प्रकार के पुनर्वास व्यावसायिकों, ग्राम स्तर के कार्यकर्त्ता, बहु पुनर्वास कार्यकर्ताओं तथा अन्य पदाधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
- आम जन–मानस, समुदाय के सदस्यों तथा अभिभावकों में दिव्यांगजनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु जन–शिक्षा के कार्यक्रम संचालित करना ।
- दिव्यांगजनों हेतु सहायक यंत्रों का प्रारूप विकसित करना, निर्माण करना तथा उनकी फिटिंग करना
- क्षेत्र में दिव्यांगता की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, दिव्यांगजनों के समूह की जरूरतों के विशिष्ट संदर्भ में अनुसंधान और विकास का कार्य करना।
- सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखते हुए विभिन्न पुनर्वास सेवाओं को प्रदान करने हेतु रणनीति का विकास करना ।
- विभिन्न सेवाओं के विकास के लिए गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों तथा अभिभावकगण को प्रोत्साहन तथा संबल प्रदान करना ।

- समुदाय आधारित पुनर्वास के सिद्धान्तों का पालन करते हुए तथा ग्रामीण क्षेत्रों तक सेवाओं का विस्तार करते हुए मौजूदा चिकित्सा, शिक्षा एवं रोजगार से सम्बन्धित सेवाओं के साथ सम्बन्ध स्थापित करना ।

- समाज में रोजगार, पुनर्वास, गतिशीलता, संचार, मनोरंजन और प्रवासन के अवसरों की वृद्धि के लिए शिक्षा और कौशल विकास की सेवाएं लेना।